संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश,मध्य प्रदेश, भोपाल

"कचनार" ई–5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी,हबीबगंज पुलिस थाना के पास,भोपाल–462016
E-mail: mptownplan@mp.gov.in/Phone: 0755 2427091, Fax - 0755 2427097

विषय :– रिट पिटीशन कमांक–35975/2024 मेसर्स सिल्वर रियल्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीलेश गुप्ता विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 एवं रिट पिटीशन कमांक–13089/2024 सिल्वर स्प्रिंग्स रहवासी सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन एव अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.05.2024 के अनुपालन में विचार आदेश दिनांक 10.09.2024.

~:: आदेश ::~

भोपाल,दिनांक 27/3/03/2025

कमांक 2181 /विधि/एलसीसी–47/रि.पि.–35975/आर.नं.–11/2024 रिट पिटीशन कमांक–13089/2024 सिल्वर स्प्रिंग्स रहवासी सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.05.2024 के अनुपालन में पारित आख्यतात्मक आदेश दिनांक 10.09.2024 एवं याचिका कमांक : डब्ल्यू. पी.–35975/2024 में माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खण्डपीठ इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4 दिसम्बर,2024 के अनुकम में यह प्रकरण प्रस्तुत हुआ है ।

पृष्ठभूमि :

वादीगण द्वारा ये संशोधन प्रार्थना पत्र संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश द्वारा 2024 रिट पिटीशन कमांक–**13089/2024** सिल्वर स्प्रिंग्स रहवासी सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.05.2024 के अनुपालन में पारित आख्यात्मक आदेश दिनांक 10.09.2024 एवं उक्त आदेश को संशोधित किये जाने हेतु डब्ल्यू. पी.–**35975/2024** में माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खण्डपीठ इन्दौर द्वारा अंतिम पारित आदेश दिनांक 4 दिसम्बर,2024 में, प्रतिवादी कमांक–2 (अर्थात् संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश) को निर्देशित किया गया है, जिसका आपरेटिव पैरा निम्नानुसार है :–

5. In such circumstances, the impugned order dated 10.09.2024 [Annexure P/1] cannot be sustained and is hereby set aside and the matter is remanded back to respondent No.2 to proceed afresh in the matter and to decide the representation of respondent No.5 as directed by this Court on 20.05.2024 in W.P. No.13089 of 2024 by affording due opportunity of hearing to the petitioner.
6. The petitioner is directed to appear before respondent No.2 on 18.12.2024 who shall provide copy of all the relevant documents to him within a period of seven days thereafter and the petitioner shall thereafter file his reply within a period of fifteen days and the matter shall be decided within a period of two months from the date of appearance of the petitioner.
7. With the aforesaid, without expressing any opinion on merits, the petition stands disposed off.

अध्यक्ष, सिल्वर स्प्रिंग्स रहवासी सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खण्डपीठ, इन्दौर रिट पिटीशन संख्या– 13089/2024 दायर कर मांग की गई कि प्रतिवादी संख्या–1 एवं 3 की एक समिति गठित की जाए जो कि याचिका के अनुलग्नक पी/8 की शिकायत

पर प्रतिवादीगण द्वारा कानूनी रूप से कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिसके फलस्वरूप उनकी प्रस्तुत शिकायत पर कार्रवाई करें और सिल्वर अर्बन आवासीय भवन में दुकानों और गोदामों के अवैध निर्माण का निरीक्षण करे तथा समयबद्ध अवधि के भीतर अवैध दुकानों और गोदामों को ध्वस्त/हटा दें । माननीय न्यायालय द्वारा उचित विचार–विमर्श के बाद, मामले के गुण–दोष पर विचार न करते हुए, याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया गया कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या–1 सक्षम प्राधिकारी, नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश के समक्ष तीन सप्ताह के भीतर सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ एक नया अभ्यावेदन दाखिल करें, जिसके पश्चात सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद कानून के अनुसार उस पर निर्णय लिया जायें, उपर्युक्त पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार है :–

This petition seeking the following reliefs:-

2. "7.1 That, a committee comprising the respondent no.1 and 3 may kindly be constituted to take action on the complaint dated 01.03.2024 (Annexure-P/8) and to inspect the illegal construction of shops and godown in Silver Urban Residential Building and to demolish/remove the illegalshops and godown within a time bound period of 02 month from the date of order.

7.2 Any other relief which this Hon'ble Court may consider necessary in the interest of justice, may also be granted in favour of the petitioner."

3. The grievance of the petitioner is that no legal action has been taken by the respondents on its complaint dated 01.03.2024.

4. On due consideration, this Court is inclined to dispose of this petition with a direction to the petitioner to file a fresh representation along with all the relevant documents within three weeks' time to the respondent No.1/competent authority, who shall decide the same, in accordance with law, after giving due opportunity of hearing to all the parties concerned, within a further period of six weeks.

5. With the aforesaid, the petition stands disposed of.

6. It is made clear that this Court has not reflected upon the merits of the case.

अध्यक्ष, सिल्वर स्प्रिंग्स रहवासी सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर जो कि उपर्युक्त याचिका कमांक–35975/2024 में प्रतिवादी संख्या–5 के रूप में पक्षकार है, उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2024 के परिप्रेक्ष्य में, आवेदन दिनांक 18.12.2024 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ,इन्दौर में रिट याचिका संख्या–13089/2024 प्रस्तुत की गई थी जिसके द्वारा उन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत किये थे कि "सिल्वर स्प्रिंग्स, फेज़–1 कॉलोनी ग्राम नायता मुंडला, ए.बी. बायपास रोड़, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश में स्थित "सिल्वर अर्बन" रहवासी बहुमंजिला भवन/बिल्डिंग के ब्लॉक–ए एवं ब्लॉक–बी की पार्किंग स्पेस में कुल 06 दुकानों का अवैधानिक निर्माण कर लिया गया है एवं इसी प्रकार उक्त ब्लॉक में एक अवैधानिक बैसमेंट का निर्माण कर उसमें कुल 18 दुकानों एवं एक गोडाउन का निर्माण भी कर लिया गया है। इस प्रकार संचालित कुल 24 दुकानों में चाय, सिगरेट, गुटखा इत्यादि का विक्रय किया जाता है, जिस कारण न केवल उपरोक्त अवैधानिक एवं अनाधिकृत निर्माणों से उक्त सिल्वर अर्बन बिल्डिंग के 240 रहवासी परिवारों की सार्वजनिक स्पेस का अतिक्रमण हो गया है, बल्कि रहवासी बिल्डिंग की मजबूती पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

इस संबंध में पारित अंतिम आदेश दिनांक 20.05.2024 आवेदक संस्था को प्रतिवादी संख्या–2 संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश के समक्ष तीन सप्ताह में विस्तृत शिकायत मय दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये । जिसके अनुपालन में संस्था द्वारा संचालनालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर सुनवाई उपरांत दिनांक 10.09.2024 पारित कर अधिनियम की धारा–36 एवं 37 के तहत कार्यवाही किये जाने के आदेश संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,जिला इन्दौर और आयुक्त, नगर पालिक निगम को अनाधिकृत निर्माण को हटाने के निर्देश दिये जा चुके हैं ।

तत्पश्चात इसके निरंतरता में मेसर्स सिल्वर रियालटीज़ एवं इन्फास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड द्वारा एक रिट याचिका क्रमांक 35975/2024 माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर के समक्ष प्रस्तुत कर

उपरोक्त आदेश दिनांक 10.09.2024 को इस आधार पर चुनौती दी गई कि उपरोक्त बिल्डर कम्पनी द्वारा उपरोक्त बिल्डिंग विकसित एवं निर्मित की गई है तथा उपरोक्त आदेश दिनांक 10.09.2024 पारित करने से पूर्व उक्त बिल्डर एवं डेव्हलपर को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त रिट याचिका में अंतिम आदेश दिनांक 04.12.2024 पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 10.09.2024 को अपास्त करते हुए वर्तमान संस्था द्वारा प्रस्तुत शिकायती आवेदन दिनांकित 03.06.2024 पर पुनः सुनवाई के आदेश प्रदान किये गये हैं । उपरोक्त बिल्डर एवं डेव्हलपर को निर्देशित किया गया है कि वह आप श्रीमान् के समक्ष दिनांक 18.12.2024 को उपस्थित हो, जिसके उपरांत उपरोक्त दिनांक 18.12.2024 से 07 दिवस के भीतर उक्त बिल्डर एवं डेव्हलपर को शिकायती आवेदन मय दस्तावेज की प्रति प्रदान करवा दें एवं प्रति प्राप्त होने से 15 दिवस के भीतर उपरोक्त बिल्डर एवं डेव्हलपर अपना उत्तर समक्ष में प्रस्तुत कर दें। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त संपूर्ण सुनवाई दिनांक 18.12.2024 से 02 माह के भीतर पूर्ण कर अंतिम आदेश पारित करें। उनके द्वारा यह तथ्य भी संज्ञान में लाया गया है कि वर्तमान में उपरोक्त विकासकर्ता सिल्वर अर्बन रहवासी बिल्डिंग की पार्किंग में स्थित 06 दुकानों को किन व्यक्ति द्वारा क्रय किया गया है, जिन्हें स्वविवेकानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान किया जा सकता है । पारित अंतिम आदेश दिनांक 04.12.2024 के परिपालन में आवेदक रहवासी संस्था द्वारा प्रस्तुत शिकायती आवेदन दिनांक 3.6.2024 की पुनः सुनवाई की जावे ।

मेसर्स सिल्वर रियलटीज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीलेश गुप्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खण्डपीठ इन्दौर द्वारा रिट पिटीशन संख्या–35975/2024 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2024 के अनुपालन में दिनांक 18.12.2024 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में सम्मुख उपस्थित हुए तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 में लिये गये निर्णय पर पहुॅचने हेतु समक्ष प्रस्तुत हुए शिकायत आवेदन व अभिलेख की प्रतियॉ उपलब्ध कराई गई ।

सिल्वर रियल्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड, इन्दौर का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 35975/2024 में पारित आदेश के अनुपालन में शिकायत का उत्तर दिनांक 02.01.2025 को अभ्यावेदन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा पारित बोर्ड प्रस्ताव द्वारा विधिवत अधिकृत होकर कंपनी के लिए और कंपनी की ओर से कंपनी के कंपनी सचिव श्री नीलेश गुप्ता द्वारा प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा निम्न तथ्य/कथन प्रस्तुत किये गये हैं :–

1. यह कि, कंपनी ने सर्वे क्रमांक 527/3, 528/4, 599/2, 642/2 643/1, 646/2, 490/2 492, 493/1, (494/1) / 1 (500/1) / 2 511/2/1, 519/1/3, 524/2 525/5,545/1 546/1/1, 599/1, 639, 643/2, 646/1, 650, (531/1) / 4 531/3, 532, 535, 563/1, 536/2 538, 539 /2 पर स्थित 'सिल्वर स्प्रिंग्स' के नाम और शैली में एक टाउनशिप परियोजना विकसित की है। 540/1, 495/5 496/1/3, (496/2) / 3 (469/4) / 3 496/1/2, (496/2) / 2 (946/4) / 2 495/4 495/6, (496/1) / 4 (496/2) / 4 495/3, 496/1, 496/1/5, (496/4) / 1 (494/1) / 2 519/1/1, 519/1/2, 524/3 525/1, 525/2 525/3 525/6 524/1, 525/4, 526, 530/2 531/2/1, 418, 421/2, 419/3, 420/3, 491, 527/1 528/2 527/2, 528/3 537/1, 644/1 644/2, (511/2)/2 511/2/3, 528/1, 529, 530/1, (531/2) / 2 537/2 513/3 523/3 513/5 523/5 523/655, (511/2) / 4 5415, (515/1) / 3 517, 518, (522/1) / 1 (531/1) / 1 (531/1)/2 542/16 और 543/1/6 कुल क्षेत्रफल 55.027 हेक्टेयर जो कंपनी के एकमात्र स्वामित्व में है, जिसमें कंपनी ने सभी आवश्यक सरकारी/प्राधिकरण/वैधानिक अनुमति प्राप्त करने के बाद आवासीय और कॉर्पोरेट उद्देश्य के लिए विभिन्न बहुमंजिला इमारतें, आवासीय घर, इकाइयाँ, फ्लैट, दुकानें आदि विकसित की हैं।
2. यह कि वर्तमान उत्तर सिल्वर स्प्रिंग्स रहवासी सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर द्वारा ग्राम नायता मुंडला, एबी बाईपास रोड, इंदौर में स्थित सिल्वर स्प्रिंग्स टाउनशिप, फेज I में निर्मित छह दुकानों और बेसमेंट के संबंध में प्रस्तुत निराधार शिकायत पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

3. यह कि, संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्राम नियोजन, इंदौर ने पत्र दिनांक 24/08/2006 द्वारा कंपनी की भूमि के विकास के लिए स्वीकृत लेआउट को मंजूरी दी है। दिनांक 24/08/2006 की स्वीकृति की प्रति उत्तर के साथ प्रस्तुत की गई है ।

4. तत्पश्चात, नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग, इंदौर के अनुमोदन के पश्चात, ग्राम पंचायत मुंडला नायता जिला इंदौर ने पंचायत राज अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के साथ लागू भूमि विकास नियम के अनुसार विभिन्न ईकाइयों, मकानों, फ्लैटों, दुकानों, आवासीय समूह योजना, कॉर्पोरेट व्यावसायिक उपयोग इकाइयों, बाउंड्रीवॉल, टाउनशिप के गेट आदि के निर्माण के लिए भवन निर्माण अनुमति दिनांक 07.02.2007 को प्रदान की। विभिन्न भवन योजनाओं के साथ–साथ पंचायत, ग्राम नायता मुंडला ने संबंधित दुकानों की भवन योजना को भी विधिवत अनुमोदित किया है। दिनांक 07.02.2007 के स्वीकृति पत्र की एक प्रति संलग्न है तथा अनुलग्नक 4 के रूप में अंकित है तथा दुकानों का स्वीकृत मानचित्र की प्रति प्रस्तुत की गई ।

5. यह कि, कंपनी को ग्रुप हाउसिंग, मल्टी ड्वेलिंग, हाईराइज और कमर्शियल उपयोग आदि के विकास के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, इंदौर के कार्यालय से संशोधित दिनांक 02.05.2009 की मंजूरी दी गई उसकी प्रति प्रस्तुत की गई ।

6. संपूर्ण परियोजना के विकास के पूरा होने पर, 18.05.2010 को विकास पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किया है और बंधक भूखंडों/यूनिट को मुक्त कर दिया है, जिससे अनुमतियों के अनुरूप संपूर्ण परियोजना के विकास के पूरा होने की पुष्टि होती है। दिनांक 18.05.2010 की एक प्रति प्रस्तुत की गई ।

7. लेआउट की मंजूरी के बाद पंचायत मुंडला नायता ने भवन पूर्णता प्रमाण पत्र सह अधिभोग प्रमाण पत्र प्रदान किया है । विषयगत दुकानें क्रमांक जी–01 से जी–06, बी–01 से बी–21 तथा सिल्वर स्फीयर दुकानें क्रमांक एस–01 से एस–06 ज्ञापन दिनांक 21.02.2012 के अनुसार, दुकानों के स्वीकृत मानचित्रों सहित पूर्णता सह अधिभोग प्रमाण–पत्र का स्वीकृति ज्ञापन दिनांक 21.02.2012 की एक प्रति प्रस्तुत की गई ।

8. इसके पश्चात कंपनी ने सम्पूर्ण टाउनशिप का निर्माण कर लिया है तथा सिल्वर स्प्रिंग टाउनशिप फेज 1 को ग्राम पंचायत, मुंडला नायता जिला–इंदौर के कार्यालय द्वारा दिनांक 27.07.2012 को पूर्णता एवं अधिभोग प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया है। दिनांक 27.07.2012 के पूर्णता प्रमाण–पत्र की एक प्रति प्रस्तुत की गई ।

9. कंपनी ने ग्राम पंचायत, मुंडला नायता, इंदौर द्वारा विधिवत अनुमोदित और पारित लेआउट के अनुरूप लागू कानूनों के पूर्ण अनुपालन के साथ संबंधित दुकानों का निर्माण किया है और उसी संदर्भ में पंचायत मुंडला नायता ने उस समय लागू प्रावधानों के अनुसार पूर्णता और अधिभोग प्रमाण पत्र प्रदान किया है।

10. संबंधित दुकानों का उपयोग टाउनशिप की उपयोगिता दुकानों के रूप में किया जा रहा है।

11. शिकायतकर्ता ने बिना किसी दस्तावेजी सबूत के निराधार शिकायत की है और गलत तरीके से कहा है कि दुकानें पार्किंग स्थलों पर बनाई/निर्मित की गई हैं। इस दस्तावेज के साथ संलग्न दस्तावेजों, अनुमतियों, अनुमोदनों, प्रमाण पत्रों आदि के आधार पर यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि कंपनी द्वारा किया गया निर्माण पूरी तरह से कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार है। नियमों के अनुसार कार्य किया जा रहा है तथा वर्ष 2012 में पूरा किया गया है। इसका अर्थ है कि टाउनशिप के पूरा होने के 12 वर्ष बाद शिकायत दर्ज करना अत्यधिक विलम्ब तथा षडयंत्र को दर्शाता है।

12. **टाउनशिप के रख–रखाव, प्रबंधन तथा रखरखाव के लिए निवासियों की निम्नलिखित दो संस्थाएं कार्य कर रही हैं:–**

सिल्वर स्प्रिंग्स रहवासी सहकारी संस्था मर्यादित, जिसके 600 से अधिक सदस्य हैं, वर्ष 2009 में निगमित तथा पंजीकृत है, टाउनशिप के चरण I के रख–रखाव, प्रबंधन तथा रखरखाव के लिए कार्य कर रही है।

सिल्वर स्प्रिंग्स चरण II निवासी रख–रखाव संस्था, जिसके 700 से अधिक सदस्य हैं, जिसे वर्ष 2015 में निगमित किया गया, टाउनशिप के चरण II के रख–रखाव, प्रबंधन तथा रखरखाव के लिए कार्य कर रही है। दोनों संस्थाओं के पंजीकरण प्रमाणपत्रों की प्रतियां क्रमशः अनुलग्नक 10 तथा अनुलग्नक 11 के रूप में इस उत्तर के साथ संलग्न की गई हैं।

(बी) कि, टाउनशिप के फेज 1 का प्रबंधन, रखरखाव और रख–रखाव भी 01.10.2012 को फेज 1 के लिए सोसायटी को सौंप दिया गया है। हैंडओवर पत्र की एक प्रति इस उत्तर के साथ संलग्न है और अनुलग्नक 12 के रूप में अंकित है।

(सी) कि, चूंकि टाउनशिप के फेज 1 के रख–रखाव, प्रबंधन और रख–रखाव का काम वर्ष 2012 में टाउनशिप के रख–रखाव, प्रबंधन और रख–रखाव का काम निवासी कल्याण संघ को सौंप दिया गया है और हैंडओवर लेने के 12 साल बाद शिकायत दर्ज करना भी अत्यधिक विलंब और समयबाधित शिकायत है और केवल इसी आधार पर इसका निपटारा किया जाना चाहिए।

13. वर्तमान मामले में जब इंदौर नगर निगम को नोटिस जारी किए गए हैं, तो नगर निगम ने जवाब में नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय, इंदौर को दिनांक 21.10.2024 को एक पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि उक्त दुकानों का निर्माण कंपनी द्वारा उचित मंजूरी एवं अपेक्षित अधिकारियों की स्वीकृति से किया गया है। नगर निगम द्वारा जारी दिनांक 21.10.2024 के पत्र की एक प्रति इस उत्तर के साथ प्रस्तुत है ।

14. शिकायतकर्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष का कंपनी के प्रति व्यक्तिगत द्वेष है तथा वे एसोसिएशन के धन का उपयोग करके विभिन्न फोरमों के समक्ष विभिन्न शिकायतें कर रहे हैं। टाउनशिप का वर्ष 2010 में विधिवत विकास किया गया था तथा वर्ष 2012 में विधिवत निर्माण किया गया था तथा प्रतिवादी ने अन्य व्यक्तिगत मुद्दों पर मुकदमा करने के 12 वर्ष पश्चात अब वर्तमान शिकायत प्रस्तुत की है।

15. शिकायतकर्ता ने जानबूझकर वर्तमान प्रतिवादी को रिट याचिका एवं प्रस्तुत शिकायत में पक्षकार नहीं बनाया है। जब शिकायतकर्ता ने रिट याचिका संख्या 13089/2024 प्रस्तुत की, तो शिकायतकर्ता ने जानबूझकर वर्तमान प्रतिवादी अर्थात डेवलपर कंपनी को उक्त याचिका में पक्षकार भी नहीं बनाया। चूंकि वर्तमान प्रतिवादी उक्त रिट याचिका में पक्षकार नहीं था, इसलिए वर्तमान प्रतिवादी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सही तथ्य प्रस्तुत करने में असमर्थ था। इसी प्रकार, जब वर्तमान प्रतिवादी इस प्राधिकरण के समक्ष पक्षकार नहीं था, तो वर्तमान प्रतिवादी शिकायत के उचित निर्णय के लिए सही नियति और अनुमतियाँ और प्रतिबंध प्रस्तुत नहीं कर सका।

16. शिकायतकर्ता द्वारा वर्तमान प्रतिवादी को शिकायत और रिट याचिका में पक्षकार के रूप में शामिल न करने का जानबूझकर किया गया प्रयास स्पष्ट रूप से शिकायतकर्ता की दुर्भावना को प्रदर्शित करता है। वर्तमान प्रतिवादी को विवादित आदेश के बारे में पता चला कि वर्तमान प्रतिवादी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 35975/2024 प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हुआ, जो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04 दिसंबर, 2024 के आदेश द्वारा वर्तमान प्रतिवादी को केवल शिकायत पर अपना जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है; इसलिए चूंकि शिकायतकर्ता ने पहले ही अपने दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं और माननीय उच्च न्यायालय ने भी हमें मामले में जवाब दाखिल करने की अनुमति देने का आदेश दिया है, इसलिए कृपया शिकायतकर्ता को नई सुनवाई की अनुमति न दें। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 35975/2024 में पारित आदेश की एक प्रति इस उत्तर के साथ है।

17. नगर निगम ने पुष्टि की है कि कथित निर्माण स्वीकृत लेआउट के अनुरूप है; इसलिए अब कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई आधार नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। की गई शिकायत स्पष्ट रूप से निराधार है क्योंकि कथित दुकानों का निर्माण स्वीकृत अनुमति के अनुरूप किया गया है।

18. दुकानों का निर्माण अपेक्षित अधिकारियों की उचित अनुमति और मंजूरी के अनुसार किया गया था और इसे इंदौर नगर निगम द्वारा भी स्वीकार किया गया है, जो ग्राम पंचायत, नायता मुंडला के अभिलेखों का वर्तमान संरक्षक है। यह भी कि जब नगर निगम ने पुष्टि कर दी है कि दुकानों का निर्माण वैध है, तो उक्त शिकायत को जारी रखने का कोई कारण नहीं है।

19. यह शिकायत कानून की दृष्टि में भी टिकने योग्य नहीं है, क्योंकि शिकायत पर शुरू की गई कार्यवाही मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 37 (1) के अनुसार समय सीमा समाप्त हो चुकी है, अनधिकृत विकास के लिए नोटिस ऐसे अनधिकृत निर्माण की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के बाद जारी नहीं किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान मामले में, कंपनी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के 12 वर्ष से अधिक समय बाद कार्यवाही शुरू की गई है (अनुलग्नक 8 देखें)। मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 37 (1) को सुविधा के लिए निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है: –

37. अनधिकृत विकास को हटाने की मांग करने की शक्ति।

(1) जहां धारा 36 में निर्दिष्ट अनुसार कोई विकास किया गया है, वहां संचालक, ऐसे विकास के पांच वर्ष के भीतर, स्वामी को एक नोटिस दे सकेगा, जिसमें उसे नोटिस की तामील की तारीख से एक महीने से कम नहीं और तीन महीने से अधिक नहीं की अवधि के भीतर यह अपेक्षा होगी कि,–

(क) धारा 36 के खंड (क) या (ग) में निर्दिष्ट मामलों में भूमि को उस स्थिति में बहाल करे, जो उक्त विकास होने से पहले विद्यमान थी;

(ख) धारा 36 के खंड (ख) या (घ) में निर्दिष्ट मामलों में शर्तों या संशोधित अनुमति के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए:

बशर्ते कि जहां नोटिस में भूमि के किसी भी उपयोग को बंद करने की आवश्यकता हो, वहां अधिभोगी को भी नोटिस दिया जाएगा।

20. यह कि, टाउनशिप का दैनिक प्रबंधन, रख–रखाव और संचालन वर्ष 2012 में ही एसोसिएशन/सोसाइटी को सौंप दिया गया था और कंपनी का टाउनशिप के मामलों में कोई नियंत्रण नहीं रहा है। तब से सिल्वर स्प्रिंग्स रहवासी सहकारी संस्था मर्यादित नामक सोसायटी, जो रखरखाव, प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, स्वयं शिकायतकर्ता है जो एसोसिएशन /सोसायटी की ओर से एक अत्यधिक गलत और अतार्किक कदम है।

21. यह कि सोसायटी का वर्तमान कंपनी के प्रति द्वेष है और कंपनी इस प्रकार तुच्छ शिकायतों और मुकदमेबाजी शुरू करके कंपनी को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही है। अतः ऊपर वर्णित तथ्यों और आधारों को देखते हुए, शिकायतकर्ता की शिकायत को अनुकरणीय लागतों के साथ खारिज किये जाने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत हुआ है ।

निष्कर्ष :

यह कि रिट पिटीशन संख्या–13089/2024 में पारित आदेश 20.05.2024 के अनुपालन में सुनवाई उपरांत पारित आदेश दिनांक 3929 दिनांक 10.09.2024 द्वारा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला इन्दौर को मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 36 एवं 37 के अंतर्गत कार्यवाही एवं आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर को अनुमोदित अभिन्यास के आधार पर दी गई भवन अनुज्ञा की जॉच कर मध्य प्रदेश नगर पालिक अधिनियम,1956 के अनुसार कार्यवाही कर अवैधानिक एवं अनाधिकृत निर्माण को हटाने के निर्देश दिये गये थे । उपर्युक्त आदेश दिनांक 3929 दिनांक 10.09.2024 को माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खण्डपीठ, इन्दौर द्वारा रिट पिटीशन संख्या–35975/2024 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2024 द्वारा एकतरफा मानते हुए खारिज किया जा चुका है ।

अतः उपर्युक्त के फलस्वरूप रिट पिटीशन संख्या–35975/2024 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2024 तथा रिट पिटीशन संख्या–13089/2024 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2024 के आपरेटिव पैरा/कंडिका–4 के अनुसार पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद कानून के अनुसार उस पर निर्णय लिया जाना है ।

सिल्वर स्प्रिंग्स रहवासी सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर को पूर्व में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जा चुका है तथा उनके द्वारा रिट याचिका संख्या 35975/2024 में पारित आदेश को दृष्टिगत आवेदन दिनांक 18.12.2024 द्वारा पक्ष रखा गया है । तदानुसार सिल्वर रियल्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड, इन्दौर की ओर से भी शिकायत का उत्तर दिनांक 02.01.2024 को प्रस्तुत किया गया । उन्हें दिनांक 19.02.2024 को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया जिसमें उनके द्वारा अपने पूर्व लिखित तर्क को दोहराया गया साथ ही निरंतरता में यह कथन प्रस्तुत किया गया है, कि उनके द्वारा किसी सार्वजनिक स्पेस का अतिक्रमण नहीं किया गया है । अपितु जिस स्थल को विवादित बताया जा रहा है वहाँ से अन्य संयोजित कालोनी के लिए 30.0 मीटर चौड़ा मार्ग स्थित होता है जिसे उनके द्वारा गूगल मानचित्र पर प्रस्तुत किया गया है ।

उपर्युक्त प्रस्तुत तथ्यों के फलस्वरूप इस मामले में निम्न 3 मुद्दे उभरकर सामने आते है, जिन पर विचार किया जाना है :–

1. क्या सार्वजनिक स्पेस का अतिक्रमण हो गया है ?
2. क्या अधिनियम की धारा 36 व 37 के तहत कार्यवाही की समय सीमा बाहर हो गई है ?
3. क्या रहवासी बिल्डिंग की मजबूती पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ?
4. क्या दुकानों के स्वामियों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाये ?

इन 3 मुद्दों के संबंध में पक्षकारगण के उपरोक्तानुसार प्रस्तुत आधारों पर विचार एवं मनन किया गया। वस्तुतः इस बिन्दु पर सूक्ष्मतः से देखने से ज्ञात होता है कि

(1) जहॉ तक सार्वजनिक स्पेस का अतिक्रमण का प्रश्न है मुख्य नगर निवेशक, नगर पालिक निगम, इन्दौर के पृष्ठांकन कमांक–1756 दिनांक 21.10.2024 के द्वारा सूचित अनुसार सिल्वर रियलटीस एण्ड इन्फास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेट द्वारा उन्हें पत्र दिनांक 07.08.2024 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत, मुण्डला रायता द्वारा स्वीकृत भवन अनुज्ञा एवं मानचित्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें बेसमेंट एवं पार्किंग तल पर 6 दुकान/गोडाउन स्वीकृत होना पाया गया। इसके संबंध में याचिकाकर्ता अध्यक्ष सिल्वर स्प्रिंग्स रहवासी संस्था को प्राप्त भवन अनुज्ञा के संबंध में अवगत कराया जा चुका है। यह भी कि गूगल मानचित्र प्रस्तुत विकासकर्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि जिसे विवादित स्थल के रूप में याचिकाकर्ता द्वारा चिन्हित किया जा रहा है, इस स्थल पर 30.0 मीटर चौड़ा सार्वजनिक मार्ग है, जिसका उपयोग इस परिसर से लगी अन्य आवासीय कालोनी के रहवासियों के आवागमन के लिए उपलब्ध होता है।

(2) यह कि धारा–36 में यथा उपदर्शित कोई विकास कार्यान्वित किया गया हों, वहॉ स्वामी को मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 धारा 37 (1) के तहत सूचना तामिल कर की जा सकती है। इस पर समय सीमा सीमा का बंधन का लागू नहीं होता है।

(3) जहॉ तक रहवासी बिल्डिंग की मजबूती पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का प्रश्न है शिकायती आवेदन के साथ स्ट्रक्चरल इंजीनियर की ओर से इस प्रकार की संरचनात्मक नुकसान या भवन की नींव के कमजोर या असुरक्षित होने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं है। जिस पर विश्वास कर यह माना जा सके कि रहवासी बिल्डिंग की मजबूती पर बेसमेंट के उपयोग से किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(4) चूंकि नगर पालिक निगम, इन्दौर के उपर्युक्त पत्र में बेसमेंट एवं पार्किंग तल पर 6 दुकान/गोडाउन स्वीकृत होना पाया गया है। अतः अब इस मामले में कोई विवादित तथ्य उपस्थित नहीं होता है। यद्यपि याचिकाकर्ता उचित समझता है, भवन के संरचना के किसी भी मामले के लिए नगर पालिक निगम को भवन को संरचनात्मक क्षमता की जॉच के लिए पृथक से आवेदन कर सकता है।

(5) जहॉ तक दुकानों के स्वामियों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायें, इस हेतु संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश के स्वविवेक का प्रश्न उपस्थित होता है। यद्यपि रिट याचिका कमांक–13089/2024 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2024 के अनुपालन में सभी पक्षों का आशय में वादी सिल्वर रियल्टीज एण्ड इन्फास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना भी निहित होता है। ऐसा निर्णित रिट याचिका कमांक–35975/2024 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2024 में भी यह स्पष्ट किया गया है। इन दोनों ही याचिकाओं में दुकान के स्वामियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। यह कि वाद में वास्ते पक्षकार के रूप में संयोजित कर सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु आवेदन दुकान स्वामियों के ओर से अंतर्गत/व्यवहार प्रकिया संहिता, 1908 अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 के तहत प्राप्त नहीं हुआ है। यदि प्रस्तुत होता है, तो इस आवेदन को ग्राह्य करने के संबंध में अन्य पक्षों को जवाब में तर्क प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना होगा।

उपर्युक्त अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता हैं, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा–37 जो निम्नानुसार है :–

जहॉ धारा 36 में यथा उपदर्शित कोई विकास कार्यान्वित किया हो, वहां संचालक, स्वामी पर सूचना तामली कर सकेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह ऐसी कालावधि के भीतर जो सूचना की तामील की तारीख से एक मास से कम तथा तीन मास से अधिक न हो, जैसे उसमें विनिर्दिष्ट की जाय–

(क) उन मामलों में, जो कि धारा 36 खंड (क) या (ग) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, भूमि को उसकी अवस्था में प्रत्यावर्तित करें जो कि उक्त विकास के लिये जाने के पूर्व थी,

(ख) उन मामलों मे जो कि धारा 36 खंड (ख) या (घ) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, शर्तों का या यथा उपांतरित अनुज्ञा का पालन सुनिशिचित करें :

उक्त के अनुसार परियोजना के पूर्ण होने, एवं 12 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत अभी भी इस पर उपलब्ध प्रावधान का उपयोग से कार्यवाही संभव हो सकती है । जैसा कि अनुरोध अध्यक्ष, सिल्वर स्प्रिंग्स रहवासी सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर द्वारा दिनांक 27.08.2024 को समक्ष में उपस्थित होकर किया गया है ।

सिल्वर रियल्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड, इन्दौर की ओर से दिनांक 19.02.2024 को प्रस्तुत उत्तर पर अंतिम सुनवाई हेतु दिनांक 09.04.2025 को अध्यक्ष, सिल्वर स्प्रिंग्स रहवासी सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर द्वारा उपस्थित हुए उनके द्वारा प्रस्तुत तर्क कि, सरपंच, ग्राम पंचायत को भवन निर्माण की अनुमति देने का अधिकार नहीं है तथा नियम में बेसमेंट में वाणिज्यिक गतिविधि स्वीकार नहीं है, बेसमेंट को कांक्रिट मटेरियल डालकर बंद करवाया जावे, इस पर मनन किया गया । यह मांग बेसमेंट के निर्माण एवं उसमें संचालित गतिविधियों को बंद करने से संबंधित होती है । धारा 37 (1) परंतु के तहत ऐसे उपयोग को बंद कर दिये जाने की अपेक्षा किये जाने की सूचना की तामिली अधिभोगी को जाना होगी । इस मामलें में बेसमेंट दुकानों की अनुमति ग्राम पंचायत द्वारा भवन निर्माण अनुमति के साथ प्रदान की गई है । उक्त के फलस्वरूप Doctrine of Legitimate Expectation का सिद्धांत भी लागू होता है, जो कहता है कि यदि किसी नागरिक ने शासन की नीति के आधार पर कोई वैध आशा विकसित की है, तो उसे बिना समुचित कारण के बाधित नहीं किया जा सकता।

मुख्य नगर निवेशक, नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा उनके पृष्ठांकन कमांक–1756 दिनांक 21.10.2024 जो कि संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, इन्दौर को संबोधित है प्रतिवेदित किया गया है कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1993 के तहत सरपंच, ग्राम पंचायत, मुण्डला नायता द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा एवं मानचित्र अनुसार बेसमेंट एवं पार्किंग तल पर 6 दुकान/गोडाउन स्वीकृत होना पाया गया है । इस संबंध में उनके द्वारा वादी सह शिकायतकर्ता श्री देवेन्द्र सिंह तोमर को पत्र दिनांक 21.10.2024 द्वारा अवगत कराया जाना भी संसूचित किया गया है । जिसके प्रतिवाद में शिकायतकर्ता द्वारा कोई नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

यह कि यदि ग्राम पंचायत को भवन निर्माण के अधिकार नहीं है । यदि यह मांग स्वीकार कर ली जाये, तो ऐसी स्थिति में केवल बेसमेंट ही नहीं अवैध नहीं संपूर्ण परियोजना की प्रकृति अवैधानिक हो जाती है ।

उपर्युक्त विश्लेषण द्वारा यह प्रतीत होता है कि भवन योजना पूर्व में ही सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित की गई थी, और मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 बेसमेंट में वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति देता है। इसके अलावा, आवासीय भवनों में 5 प्रतिशत वाणिज्यिक

स्थान की अनुमति है, जो निवासियों की सुविधा के लिए है। ब्लाक संख्या 10 में दुकानें न बनाने का कारण समीपवर्ती कॉलोनी के लिए सड़क प्रदान करना था, जो नियमों के अनुसार आवश्यक था। सभी उपलब्ध तथ्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सिल्वर अर्बन बिल्डिंग में किए गए निर्माण, जिसमें दुकानें और बेसमेंट शामिल हैं, वर्तमान भूमि विकास नियमों और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार हैं।

रिट पिटीशन संख्या–13089/2024 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2024 के अनुपालन में इस प्रकरण की विधिक स्थिति यह है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 36 एवं 37 के तहत कार्यवाही प्रचलित किये जाने हेतु समुचित कारण योजना के पूर्ण होने, उपरांत भी प्रस्तुत तथ्यों अनुसार इस हेतु कार्यवाही के लिए कानूनी उपाय अब भी उपलब्ध होते हैं ।

किन्तु नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा किये निरीक्षण के उपरांत प्रस्तुत सूचना से सरपंच, ग्राम पंचायत, मुण्डला नायता द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा एवं मानचित्र अनुसार बेसमेंट एवं पार्किंग तल पर 6 दुकान/गोडाउन स्वीकृत होना पाया गया है, जिसके फलस्वरूप स्थल पर किया गया निर्माण अनाधिकृत श्रेणी में नहीं है ।

मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 36 व 37 के तहत कार्यवाही हेतु समुचित कारण उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसके फलस्वरूप अनाधिकृत निर्माण को हटाने की कार्यवाही हेतु संचालक को किये गये याचिकाकर्ता के निवेदन पर अधिनियम में दिये गये प्रावधान आकर्षित नहीं होने से कोई आदेश पारित किया जाना संभव नहीं है ।

यह कि अभिन्यास में संभवतः प्रश्नाधीन भूमि को विवादित चिन्हित किये जाने जाने में संभवतः कुछ भूल होने से भूमि की स्थिति सही ज्ञात नहीं होकर स्पष्ट नहीं होने से वाद उपस्थित होना प्रतीत होता है ।

आदेश :

अतएव, अधोहस्ताक्षरकर्ता एतद् द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह तोमर, अध्यक्ष, सिल्वर स्प्रिंग्स रहवासी सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर के अभ्यावेदन दिनांक 03.06.2024 में चाही गई राहत को अमान्य करता है । हालांकि, यदि भविष्य में कोई नई जानकारी या सबूत सामने आते हैं, तो मामले पर पुनर्विचार किया जा सकता है ।

उपरोक्त तथ्यों एवं कानूनी स्थापनाओं के आलोक में यह स्पष्ट है किः

ऐसे बेसमेंट, जो स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप निर्मित हैं, जिनमें वर्तमान में व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित हैं, और जिनका उपयोग मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार अनुमत है, तो उन्हें बंद करने की कोई वैधानिक या न्यायसंगत आवश्यकता नहीं है।

अतः यह आदेश पारित किया जाता है कि ऐसे सभी बेसमेंटों में वर्तमान में संचालित दुकानें यथावत संचालित रहेंगी। उनका संचालन मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अंतर्गत अनुमेय माना जाएगा।

यह आदेश प्रासंगिक कानून, न्यायिक दृष्टांतों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर निर्गत किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण निराकृत किया जाता है ।

(श्रीकांत बनोठ)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक 2182 /विधि/एलसीसी–67/रि.पि.–35975/आर.नं.–11/2024भोपाल,दिनांक 27/03/2025
प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं शर्तों का तथा यथा उपान्तरित अनुज्ञा का पालन जॉच कर सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में अग्रेषित ।
3. नगर निवेशक, नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं बाहरी व्यक्तियों द्वारा सोसायटी में पार्किंग किये जाने के समस्या के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधान के तहत रहवासियों के समस्याओं का समाधान सौहादृपूर्ण रीति से किए जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित कर लें ।
4. मेसर्स सिल्वर रियलटीज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चार प्रायवेट लिमिटेड, इन्दौर द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री नीलेश गुप्ता की ओर सूचनार्थ ।
5. श्री देवेन्द्र सिंह तोमर, अध्यक्ष, सिल्वर स्प्रिंग्स रहवासी सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर को सूचनार्थ प्रेषित ।
6. सहायक संचालक(आई.टी.)/प्रभारी, सूचना प्रौद्योगिकी शाखा, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की ओर वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु ।

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश, भोपाल